

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी ३/१, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : एफ ११(१२५) / ओबीसी / मोयला / आरएण्डपी / सान्याअवि / २०१६

दिनांक

७२९१५

०१/११/१७

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गयी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गये विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या १३६/२०१७ दिनांक १०.०९.२०१७ की अनुपालना में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्र.स. ८७ पर तुरन्त प्रभाव से गुरु, गर्ग ब्राह्मण, के आगे कोष्ठक में (अनुसूचित जाति की श्रेणी गारो, गरुडा, गुरुडा, गरोडा को छोड़कर) समिलित किया जाता है।

(जे.सी. महान्ति)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

1. क्रमांक : एफ ११(१२५) / ओबीसी / मोयला / आरएण्डपी / सान्याअवि / २०१६

दिनांक

2. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।

७२९१६-७३१००

२०१७  
०१/११/१७

3. प्रमुख शासन सचिव, / सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।

4. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

5. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

7. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

8. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।

9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर

10. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर।

11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

12. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।

13. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।

14. समस्त विभागाध्यक्ष।

15. समस्त जिला कलक्टर।

16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।

17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

18. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।

19. समस्त जिलाधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।

20. गार्ड फाईल।

(डॉ.समित शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव